197 37 01.01.2007 से सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों का वेतन संशोधन

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। कुछ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के कुछ ऐसे अनुरोधों, जिनके अंतर्गत विशेष अनुलब्धियों और भत्तों को 50% की सीमा से बाहर रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था, को डीपीई को अग्रेषित किया था। इसी प्रकार खान मंत्रालय ने भी नालको से प्राप्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (एनपीए) पर ऐसे वेतन, जिसकी गणना अन्य लाभों के लिए की जाए, के रूप में विचार करने की मांग से संबंधित एक प्रस्ताव डीपीई को भेजा था ।

2. इन मुद्दों को डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत यथा विहित विसंगति समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने समीक्षा की कि केंद्र सरकार और सीपीएसई के कर्मचारियों के वेतन पैकेज की तुलना नहीं की जा सकती है। 2007 के वेतन संशोधन में सीपीएसई के कार्यपालकों के लिए एनपीए सहित 04 भत्तों (62.5% की सीमा तक) को 50% की सीमा से बाहर रखते हुए 'कैफेटेरिया एप्रोच' के साथ मूल वेतन के 50% तक अनुलब्धियों और भत्तों को रखने, 200 प्रतिशत तक पीआरपी के प्रावधान और मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30% तक अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति लाभों जैसी संकल्पनाओं का प्रावधान किया गया है। समिति ने यह भी पाया है कि न तो चिदंबरम समिति ने ऐसे प्रभारों के संबंध में सहमति व्यक्त की और न ही 1997 के वेतन संशोधन में ऐसे कोई प्रावधान शामिल किए गए । समिति ने यह भी महसूस किया कि वेतन संशोधन पर सरकार के निर्णय की पवित्रता को कोई छूट प्रदान कर बाधित न किया जाए।

3. विसंगति समिति की सिफारिशों के आधार पर अब यह निश्चय किया गया है कि :

(i) एनपीए पर अन्य लाभों की गणना के प्रयोजन से वेतन के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) डीपीई के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित 4 भत्तों अथवा अनुलब्धियों को छोड़कर किसी अन्य भत्ते अथवा अनुलब्धियों को 50% की सीमा के बाहर नहीं रखा जाएगा।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (51)/2010–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**X**/2011, दिनांक 01 जून 2011)

*****